संख्या जी0आई0:- 1181 /7-1-2008-800(2213)/2008

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांक 21 अगस्त, 2008.

विषयः- जनपद-उत्तरकाशी/देहरादून के अन्तर्गत हनोल-त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्मित सामग्री भण्डारण हेतु 0.759 हे0 वन भूमि का सनफ्लैग पावर कारपोरेशन लि0 को 10 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः-524/1जी-2284 (उ0का0) दिनांक 08-08-2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-उत्तरकाशी/देहरादून के अन्तर्गत हनोल-त्यूनी जल विद्युत परियोजना के लिए कार्यालय, कर्मचारी आवास एवं निर्मित सामग्री भण्डारण हेतु 0.759 हे0 वन भूमि का सनफ्लैग पावर कारपोरेशन लि0 को 10 वर्षो की लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./01/107/2008/एफ0सी0/981 दिनांक 07-08-2008 में दी गयी स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तद्हेतु निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत किसी प्रकार के श्रमिक हट (Labour Camps) स्थापित न किये जायें।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों के दौरान किसी प्रकार का अवैध खनन न हो।
8. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात 90 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं रख–रखाव किया जायेगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रख–रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी से एकत्रित एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं कार्य स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि को तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
14. प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निधारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और वन पदार्थ की विधिवत् बिक्री से प्राप्त राजस्व, ग्राम वन समितियां/राज्य राजस्व कोष में जमा किया जायेगा।
16. प्रश्नगत वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निर्धारित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लेकर प्रयोक्ता एजेन्सी को वन भूमि का कब्जा दिया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तो एवं अन्य सामान्य शर्तो को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयंसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्याः 198/7–जी–सी–89 –3–89, दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक– 0070– अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01– की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

18. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमाँकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।

19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2— उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0—104/26/प्र0स0—आ0व0ग्रा0वि0 दि0—1—1—2001, कार्यालय ज्ञाप सं0—110/26/प्र0स0—आ0व0ग्रा0वि0 दि0—4—1—2001 एवं शासनादेश संख्या—6450/14—3—930/77 दिनांक 2—7—1979 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या— 1781 /7—1—2008—800(2213)/2008 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर—एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।
7. उप महाप्रबन्धक, सनफ्लैग पावर कारपोरेशन, 1—ए, चकराता रोड, देहरादून।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।